

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र [आर.ए.एस.]

118/2012

एमएस : 2012/00193

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर पैरोकार राजं।

प्रार्थी/वादी

बनाम

दलजीत सिंह वल्द बलदेव सिंह जाति जटसिख साकिन 23 पीएसए तहसील
रायसिंहनगर।

—:अप्रार्थी/प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 30.07.2012

अधिवक्तागण

राजपैरोकार सरकार।

श्री अजय तनेजा अधि. प्रति.सं. 1।

—: निर्णय :—

दिनांक : 19.01.2026

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है मुताबिक चक 23 पीएसए के मु.नं. 23 के पं.नं. 207/295 के कि.नं. 8/2 में 0.127 है, 9-10-11 सालम, 12/1 में 0.063 है. कुल 0.949 है. नहरी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चौसला में संवत 2067-2070 में दलजीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख के खातेदरी दर्ज है जिसका वाद न्यायालय में पेश किया जा चुका है रिपोर्ट पटवारी हल्का रायसिंहनगर के अनुसार इस रकबा में प्रतिवादी के द्वारा बिना भूमि रूपान्तरण करवाये एवं नगर नियोजक विभाग की अनुमति के बिना कॉलोनी काटकर अवैध रूप से प्लॉटों का विक्रय किया है और किया जा रहा है जिसमें से अधिकांश प्लॉटों का विक्रय किया जा चुका है खातेदारों द्वारा उक्त भूमि के पानी की बारी का अन्य रकबा में उपयोग किया जा रहा है जिसमें वर्तमान में कोई फसल काश्त नहीं हो रही है। अप्रार्थीगण/प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि पर बिना बैद्य स्वीकृति व रूपान्तरण राशि जमा करवाये अवैध रूप से कॉलोनी काटकर अतिचार किया जा रहा है। यदि उन्हे रोका नहीं गया तो राज्य पक्ष को अपूर्णीय क्षति होगी। बिना किसी प्लान के अवैध कॉलोनिया का निर्माण हो जाएगा। जो आगामी विकास में बाधा बनेगी। वाद पत्र श्रीमान् जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। वाद अन्दर मियाद है। वाद राज्य हित में होने के कारण कोर्ट फीस शुल्क से मुक्त है। अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज फरमाये जायेगे। अप्रार्थीगण/प्रतिवादी के द्वारा उपरोक्त भूमि पर बिना भूमि रूपान्तरण करवाये आवासी प्लॉट काटकर विक्रय कर अतिचार किया जा रहा है। इस प्रकार कृषि भूमि के बिना भूमि रूपान्तरण करवाये प्लॉट काटकर विक्रय किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 की धारा 177 की दण्डनीय होने के कारण भूमि पर अतिचार व अवैध कॉलोनी निर्माण हो रोकने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212(2) के तहत रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित होगा। अतः वाद दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त रकबा को रकबा राज घोषित किया जाकर बहक सरकार लिये जाने के आदेश प्रदान किये
- वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से श्री अजय तनेजा अधिवक्ता ने वकालतनामा व जववा दावा पेश कर निवेदन यिका है कि वादी का दावा निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है इसलिए वादी का दावा चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। वादी के अधिवक्ता ने अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि वादी ने विनाय दावा कैसे व कब प्राप्त हुआ, वाद-पत्र में होना नहीं किया वाद का उत्पन्न होने के संबंध में कोई तथ्य लेख नहीं होने से वादी को वाद कारण नहीं से दावा खारिज योग्य है। काश्तकारी अधिनियम में से छोटे टुकड़ों को बेचान कर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

क नहीं है अगर कोई कृषि भूमि का छोटा टुकड़ा बेचान किया जाता है तो इस धिनियम के तहत अवैध नहीं है, अगर बेचान किया है तो धारा 90 ए के तहत यमन योग्य है प्रतिवादी के नाम विवादित भूमि मौका पर खाली पड़ी है उसमें कोई र्माण नहीं किया हुआ है तथा इस भूमि का पानी सिंचाई हेतु सिंचाई विभाग द्वारा ी भूमि में बांध कर पर्ची जारी की हुई है। कृषि भूमि नगरपालिका परिधि (पैराफेरी) रेया से बाहर है काश्तकार द्वारा भूमि की सुरक्षा हेतु अगर एक कोठा या चार वारी की जाती है तो भी विधि प्रावधानों अनुसार सही है जो भूमि में सुधार हेतु ह्या जा सकता है। वादी द्वारा वाद-पत्र गलत आधार पर व विधिक प्रावधानों के परित प्रस्तुत किया गया है, वादी द्वारा वाद-पत्र के शीर्षक में राजस्थान सरकार ारा वाद-पत्र प्रस्तुत करना दिखाया है जो कि विधि अनुसार सही नहीं है इसलिए धि अनुरूप वादी का वाद-पत्र इसी स्टेज पर खारिज योग्य है अतः जवाब दावा स्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद-पत्र निराधार व गलत वर्णित होने से मय र्चा खारिज फरमाया जावे।

म विधिक तनकीयात कायम कर निर्णय करना उचित समझते है निम्न तनकीयात गयम की गई।

1. आया कि विवादित भूमि चक 23 पीएसए के मु.नं. 23 के पं.नं. 207/295 के कि.नं. 8/2 में 0.127 है., 9-10-11 सालम, 12/1 में 0.063 है. कुल 0.949 है. नहरी भूमि दलजीतसिंह पुत्र श्री बलदेवसिंह जाति जटसिख साकिन 23 पीएस ए प्रतिवादी के नाम बतौर खातेदार दर्ज है।
--:राजपैरोकार
 2. आया कि खातेदार द्वारा विवादित भूमि को बिना रूपान्तरण कराये एवं नगर नियोजन विभाग की अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनी को काटकर प्लाटों का विक्रय कर अतिचार कराया गया है।
--:राजपैरोकार
 3. आया कि प्रतिवादी खातेदार द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये अवैध रूप से कॉलोनी काट कर राज्य सरकार को अपूर्णाय क्षति होने से धारा 177 आर.टी.ए. के तहत दण्डनीय होने से रकबाराज घोषित किया जा सकता है।
--:राजपैरोकार
 4. आया कि वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत करने का अधिकारी नहीं है।
--:प्रतिवादी
 5. आया कि विवादित भूमि को नियम 90 ए के तहत नियमन हो चुका है। इसलिए वाद काबिल खारिज है।
--: प्रतिवादी
 6. अनुतोष।
- साक्ष्य वादी में सरकार की तरफ से राजपैरोकार का कथन है कि वाद-पत्र व पटवार हल्का की मौका रिपोर्ट व तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ही साक्ष्य माने जावे। सरकार की तरफ से अन्य कोई साक्ष्य वास्ते दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गये। अतः साक्ष्यवादी बन्द किया गया।
3. प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई मौके दिये गये परन्तु प्रतिवादी द्वारा न तो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही प्रतिवादी की तरफ से अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर आया।
3. हमने सरकार की तरफ से नियुक्त राजपैरोकार नायब तहसीलदार समेजा कोठी की एकपक्षीय बहस सुनी। व स्वयं पीठासीन अधिकारी का विवादित भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर उक्त विवादित भूमि पर बिना भू. रूपान्तरण करवाये मकानों का निर्माण किया हुआ है तथा मौके पर लोग मकान बना कर निवास कर रहे है। मौका निरीक्षण तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (A) आया कि विवादित भूमि चक 23 पीएसए के मु.नं. 23 के पं.नं. 207/295 के कि.नं. 8/2 में 0.127 है., 9-10-11 सालम, 12/1 में 0.063 है. कुल 0.949 है. नहरी भूमि दलजीत सिंह पुत्र श्री बलदेवसिंह जाति जटसिख साकिन 23 पीएसए तह. रायसिंहनगर प्रतिवादी बतौर खातेदार दर्ज है।
--:राजपैरोकार

उपरोक्त अतिचार
रायसिंहनगर

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी/राजपैरोकार पर था राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/जमाबन्दी के अनुसार चक 23 पीएसए के मु.नं. 23 के पं.नं. 207/295 के कि.नं. 8/2 में 0.127 है., 9-10-11 सालम, 12/1 में 0.063 है. कुल 0.949 है. नहरी भूमि दलजीत सिंह पुत्र श्री बलदेवसिंह जाति जटसिख साकिन 23 पीएसए तह. रायसिंहनगर प्रतिवादी के नाम बतौर खातेदार दर्ज है इस तनकी को प्रमाणित करने में वादी सफल रहे है अतः यह तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (B) आया कि खातेदार द्वारा विवादित भूमि को बिना रूपान्तरण कराये एवं नगर नियोजन विभाग की अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनी को काटकर प्लॉटों का विक्रय कर अतिचार कराया गया है।
—:राजपैरोकार

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी/राजपैरोकार पर था। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के अनुसार प्रतिवादी द्वारा बिना भूमि को रूपान्तरित करवाये व बिना नगर नियोजन विभाग की अनुमति के कृषि भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। अवैध रूप से प्लॉट काटकर विक्रय किया जा रहा है। जिनके बैयनामा पंजीकृत करवाये है। अतः यह तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (C) आया कि प्रतिवादी खातेदार द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये अवैध रूप से कॉलोनी काट कर राज्य सरकार को अपूर्ण्य क्षति होने से धारा 177 आर.टी.ए. के तहत दण्डनीय होने से रकबाराज घोषित किया जा सकता है।
—:राजपैरोकार

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी/प्रार्थी/राजपैरोकार पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/शपथ पत्र/पटवार हल्का रिपोर्ट आदि से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि को बिना भू-रूपान्तरण करवाये प्लॉटों के रूप में वर्गीकृत कर विक्रय किया जा रहा है। संपरिवर्तन नहीं करवाने से संपरिवर्तन शुल्क राजकोष में जमा नहीं हुआ है। इससे राज्य सरकार को आर्थिक/राजस्व हानि हुई है। यह तनकी बहक प्रार्थी/वादी/राजपैरोकार निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (D) आया कि वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध बिनाय दावा बिनाय मुखारमत करने का अधिकारी नहीं है।
—:प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे यह साबित हो कि कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण किये अकृषि कार्य के लिए प्रयोग किया जाना बैध है जामबंदी विवादित भूमि वाके चक 23 पीएसए के मु.नं. 23 के पं.नं. 207/295 के कि.नं. 8/2 में 0.127 है., 9-10-11 सालम, 12/1 में 0.063 है. कुल 0.949 है. नहरी भूमि दलजीत सिंह पुत्र श्री बलदेवसिंह जाति जटसिख साकिन 23 पीएसए तह. रायसिंहनगर प्रतिवादी के नाम बतौर खातेदार दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि कृषि भूमि है। तथा कृषि भूमि को अकृषि में रूपान्तरण करवाये आवासीय भूमि में प्रयोग में लिया जा रहा है। राज.काश्त. अधिनियम के विधिक प्रावधानों के अनुसार कृषि भूमि का आवासीय भूमि के रूप में प्रयोग करना अवैध है तथा राज्य सरकार को प्रतिवादीगण के विरुद्ध यही बिनाय दावा व बिनाय मुखारमत हासिल हैं। प्रतिवादीगण उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित करने में असमर्थ रहे है अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध तथा वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

तनकी संख्या (E) आया कि विवादित भूमि को नियम 90 ए के तहत नियमन हो चुका है। इसलिए वाद काबिल खारिज है।
—: प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज /साक्ष्य पेश नहीं किया गया। जिससे यह सिद्ध होता है कि भूमि का नियमन हो चुका है। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।


तनकी संख्या (F) अनुतोष।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1-5 बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना विधि संगत समझते है।


—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादी/राजपैरोकार तनकीयात को सिद्ध करने में सफल रहे है। खातेदार/प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन करवाये/ बिना नगर नियोजन विभाग की अनुमति के छोटे-छोटे भूखण्डों /प्लाटों के रूप में विक्रय किया जा रहा है यह कृषि भूमि के लिए अहितकर है तथा जिस प्रयोजन के लिए भूमि खातेदार को दी गई थी उस प्रयोजन के विपरीत है तथा राज. काश्तकारी अधि. 1955 व भू.राजस्व अधि. 1956 की धारा 90ए के प्रवधानों का उल्लघन किया गया है तथा राज्य सरकार की नीतियों का सरासर उल्लघन है। अतः उपर्युक्त वादग्रस्त रकबा चक 23 पीएसए के मु.नं. 23 के पं.नं. 207/295 के कि.नं. 8/2 में 0.127 है., 9-10-11 सालम, 12/1 में 0.063 है. कुल 0.949 है.. नहरी भूमि को रकबाराज घोषित किया जाता है। तहसीलदार रायसिंहनगर को उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में रकबाराज दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तथा राजस्व रिकार्ड में रकबाराज दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।


{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पट्टेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।


{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पट्टेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

